

**बिहार शिक्षा परियोजना**  
**शिक्षा भवन, करमगंज,**  
**दरभंगा-846001**



**Bihar Education Project**  
**Shiksha Bhawan, Karamganj,**  
**Darbhanga-846001**

पत्रांक ..... ८३४

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
 प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,  
 बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यावस्थापक/प्रबंधक

**महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान** दरभंगा, दिनांक ०६/०७/ २०१७ ₹०।

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, २००९ की धारा-१८ के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम ११ के उपनियम ५ के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र एवं विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र के आधार पर दिनांक ०८.०६.२०१७ को प्रस्तीकृति समिति के बैठक में निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय


**महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, काजीपुर, बहादुरगढ़, दरभंगा**  
 (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा-१ से कक्षा-८ संचालन हेतु पत्र ०१/०४/१७ से तीन तर्जे के लिए औपबंधिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति जिम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा-८ तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, २००९ तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, २०११ का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।

3. विद्यालय अपनी कक्षा १ में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का २५ प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यांदे विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा। अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिग्राह्य हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक बच्चे एवं कमजोर वर्ग के बच्चे से तात्पर्य यह है कि सामान्य समूह के बच्चे (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक को छोड़कर), जिनके माता-पिता के वार्षिक आय २ लाख रु० से कम है।
4. कंडिका ३ में उल्लूत बच्चों के मामले में पिद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा १२ की उपधारा २ के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करें।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।



फोन एवं फैक्स - ०६२७२-२५४०५६



- ५ विद्यालय किसी बच्चे के जानकारी में उसके उप प्रश्नोत्तर पर के अनुपलब्धता, आमतिक विद्यार्थियों के बारे में जानकारी उपर स्थान अवधि कारणों का दृष्टिकोण से विस्तृत एक विवरण के अन्तर्गत पर दिया जानी कर सकेगा।
- ६ विद्यालय के द्वारा विद्युत कार्य कुर्सिकार्य किये जानी हैं -
- ७ किसी भी जानकारी बच्चे को किसी भी छाता में दीक्षकर नहीं द्या जायेगा और वे भी किसी जानकारी बच्चा को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय में विद्यार्थियों किया जायेगा।
- ८ किसी भी बच्चे को किसी एकार का जानकारी देने वाले जानकारी तका जानकारीकरण से उत्तीर्ण नहीं किया जायेगा।
- ९ किसी भी बच्चे को जानकारी विद्या पूरी तरह के लिए किसी भी प्रकार के बीच उत्तीर्ण पास करने की आवश्यकता नहीं होती।
- १० प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को विद्यम २२ के आलोक में प्रश्नोत्तर पर प्रदान किया जायेगा।
- ११ अधिकारियम के वादावाले के आलोक में विद्यार्थी/विदेशी आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश रखा जायेगा।
- १२ विद्यार्थी का विद्योत्तर अधिकारियम की वारा २३ की उपचारा । में उसके लिए विद्यार्थियों अनुबत्तम वोक्याता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिकारियम के तथा दूसरे के समय वर्तमान में कार्रवात ऐसे सभी शिक्षक, जो विद्यार्थियों अनुबत्तम वोक्याता नहीं करते रहते हैं, वे ५ बच्चों के अंदर विद्यार्थियों अनुबत्तम वोक्याता प्राप्त कर सकें।
- १३ विद्यक अधिकारियम की वारा २४ की उपचारा । में प्रावधानित शिक्षकों के दाखिल का विरहन करेंगे।
- १४ विद्यक विज्ञी-सर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-जटियियि में संलग्न नहीं होती।
- १५ विद्यालय राज्य सरकार द्वारा विधायित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवर्यों का अनुसरण करेगा।
- १६ विद्यालय अधिकारियम की वारा १९ के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का जामांकन करेगा।
- १७ विद्यालय अधिकारियम की वारा १९ में उद्धृत मानकों एवं मानदंड के अनुसार विद्यालय में विभिन्न सुविधाओं का रूप अनिवार्य है :-

  - विद्यालय का अपना परिसर
  - दर्जकलों की संख्या : ३० छात्र पर एक दर्ज कक्ष
  - प्रधानाधिकारी-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
  - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय
  - देवउत्तम की सुविधा
  - अध्याधीन भोजन के लिए रसोई पर
  - लाधारीय पर्यावरण
  - शिक्षण अधिकारियम सामग्री/छेत्र-कुरु उपकरण/पुस्तकालय



काल सर परिषद - ०६२७२-२५४०५६

**बिहार शिक्षा परियोजना**  
**शिक्षा भवन, करमगंज,**  
**दरभंगा-८४६००१**



**Bihar Education Project**  
**Shiksha Bhawan, Karamganj,**  
**Darbhanga-846001**

११. कोई भी अप्रतीक्षित वर्तीकरण शिक्षालय की ओर आया शिक्षालय में जाने से संचालित नहीं होता।
१२. शिक्षालय भवन अथवा अन्य संस्थानों अथवा शिक्षालय का उपयोग किसी शिक्षा तथा कठीन शिक्षण के लिए होता।
१३. शिक्षालय सोसाईटी संस्कृतेश्वर अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अनुसारि शिक्षित सोसाईटी के द्वारा अथवा शिक्षी शिक्षित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी प्रतिक्रिया दृष्टि के आधार से गठित होता।
१४. शिक्षालय किसी विद्या, समूह अथवा विद्यालय के संघ अथवा किसी अन्य अधिनियम के लाभ के लिए संचालित नहीं होता।
१५. लेखा का अंकेश्वर एवं उसका प्रत्यार्थीकरण घार्डी एक्सामिनेट के द्वारा किया जायेगा और शिक्षित विद्यार्थी के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी दीयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।
१६. आपको शिक्षालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या **12/17** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रबोधन करते हैं तो इस कोड को धूपदा अंकित एवं उद्दृत किया जाय।
१७. विदेशक, प्रायमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांग किये जाने प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, शिक्षालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्वार से प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुविशेषता हेतु अथवा शिक्षालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को हूर करने हेतु समय-उमर पर विनियत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
१८. यदि सोसाईटी के जिबंधन के वरीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुविशेषत किया जाय।
१९. यह प्रस्तीकृति अस्थायी है। तीन वर्ष के अंदर आपके द्वारा अधिनियम की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो प्रस्तीकृति का वरीकरण नहीं किया जायेगा।

विद्यारामाजन,

*12/17*  
 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
 प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,  
 बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।



फोन एवं फैक्स - ००२७२-२८४०५६